

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १९३२ /२०१९

दिनांक : ३०.०९.२०१९

श्री राजेश कुमार-II (RJ0603), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू को दिनांक 01.06.2019 से 21.06.2019 तक 21 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.06.2019 से 23.06.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कुमार-II की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरू) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

३०.९.१९
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/६०/२००८/ ९२२०

दिनांक : ३०.०९.२०१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला 'एवं' सेशन न्यायाधीश, चूरू को उनके पत्रांक 4553/4787 दिनांक 29.07.19/14.08.2019 के सन्दर्भ में।
- श्री राजेश कुमार-II (RJ0603), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरू)।

२६/३०९/१९
सहायक रजिस्ट्रार